

प्रार्थी के उक्त दावा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पेरकाराज ने जवाब पेश किया। संक्षेप में स्टेट को वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


### निर्णय

रोही ग्राम माणकरासर के खेत खसरा नंबर 540/68 रकबा 5.6900 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के अशुद्ध नाम ओमाराम पुत्र टीकूराम की जगह वादी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र टीकूराम शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।



  
(दिव्या)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (सिक्किम)

